

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन दुग्ध संयंत्र से मंदसौर दुग्ध संयंत्र तक पैकड साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता कार्य हेतु अल्पकालीन चतुर्थ ई-निविदा प्रपत्र वर्ष 2022-23

शुद्धता का संकल्प



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मकसी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001
दूरभाष - 2527061,2527068,2527066



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
मकसी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)
दूरभाष - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

सँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु अल्पकालीन चतुर्थ ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन दुग्ध संयंत्र से मंदसौर दुग्ध संयंत्र तक पैकड सँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी को इंशुलेटेड वाहन से परिवहन हेतु प्रति किलोमीटर दर आधार पर परिवहन कार्य करने एवं खाली क्रेट वापस पहुंचाने के लिए छः माह की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से छः माह ओर बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु निम्नानुसार अल्पकालीन ई - निविदा आमंत्रित की जाती है :-

मार्ग क्रमांक	वाहन का प्रकार	क्रेट क्षमता	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी
1	टाटा अल्ट्रा 1012 या समकक्ष मॉडल - 2017 या उसके बाद का (इंशुलेटेड)	500 क्रेट (01 क्रेट ×12 लीटर)	उज्जैन दुग्ध संयंत्र से मंदसौर दुग्ध संयंत्र मार्ग	360 कि.मी. आना-जाना प्रतिदिन

इच्छुक आवेदक वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 28/02/2022 अपरान्ह 02:00 बजे से दिनांक 06/03/2022 अपरान्ह 01:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे ईएमडी राशि रु. 25,000/- ऑनलाईन रूप से जमा करनी होगी। प्राप्त सभी निविदाओं की तकनीकी अर्हताएं दिनांक 07/03/2022 अपरान्ह 02:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय दरें खोली जाएगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साइट www.sanchidairy.com पर लॉग ऑन करें।

किसी भी निविदा को सकारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 2

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु
निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 28/02/2022 अपरान्ह 02:00 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 06/03/2022 अपरान्ह 01:00 बजे तक
3	तकनीकी बिड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 07/03/2022 अपरान्ह 02:00 बजे
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रूपये 25,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
5	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/- (पांच सौ मात्र) (केवल ऑनलाईन भरें।)
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
7	दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01 एवं प्रपत्र 02 (स्केन कर ऑनलाईन रूप से अपलोड।)
8	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
9	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04 (स्केन कर ऑनलाईन रूप से अपलोड।)

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- प्रपत्र क्रमांक 01 “निविदा की शर्तें” एवं प्रपत्र क्रमांक 02 “तकनीकी अर्हताएं”, प्रपत्र क्रमांक 04 “अनुबंध की शर्तें” तथा ऑनलाईन रूप से जमा ईएमडी राशि की रसीद स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
- दिनांक 07/03/2022 को अपरान्ह 02:00 बजे “तकनीकी अर्हताओं” का परीक्षण किया जावेगा। तकनीक रूप से सफल होने वाले निविदाकारों के निविदा शर्तों में चाहे गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। तकनीकी रूप से तथा निविदा शर्तों में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त (वित्तीय बिड) खोली जाएगी।

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।
- अपूर्ण दस्तावेज एवं बिना ईएमडी राशि के प्रस्तुत की गई ई-निविदा मान्य नहीं किये जाएंगे।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि :-
निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2022 (छः माह) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से छः माह ओर बढ़ाया जा सकता है।

शुद्धता का संकल्प

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 4

साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता हेतु
निविदा की आवश्यक शर्तें

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र – 01 के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार के पास (मॉडल-2017 या उसके बाद का) स्वयं का अथवा अनुबंधित इन्सुलेटेड चार पहिया वाहन (वाहन का प्रकार टाटा अल्ट्रा-1012 अथवा समकक्ष वाहन क्षमता 500 क्रेट – 01 क्रेट×12 लीटर) होना आवश्यक है यदि निविदाकार मॉडल-2020 या उसके बाद का या नया वाहन क्रय करना चाहता है या अनुबंधित वाहन (मॉडल-2017 या उसके बाद का) लगाना चाहता है तो तदाशय का शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंसुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2017 या उसके बाद पंजीकृत चार पहिया वाहन (वाहन का प्रकार टाटा अल्ट्रा-1012 अथवा समकक्ष वाहन क्षमता 500 क्रेट – 01 क्रेट×12 लीटर) होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती हैं।
3. निविदाकार आवेदक निविदा के साथ रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाईन उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने तथा निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
5. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
6. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल ऑनलाईन ई-टेंडर में ही वर्णित करनी होगी।

7. किसी भी निविदा को सकारण बताते हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
 8. निविदाकार/आवेदक दरों में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा हेतु स्वीकृति पश्चात ठेका अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर अनुपातिक रूप से संघ के निर्धारित नियमानुसार किया जा सकेगा। जो मान्य करना होगा।
 9. निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
 10. परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि रूपये 1,00,000/- (एक लाख रूपये मात्र) RTGS/NEFT या चेक के माध्यम से संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही अमानत बतौर स्वयं के नाम पर राष्ट्रियकृत बैंक में संचालित खाते की हस्ताक्षरित 05 चेक भी जमा करनी होगी जो किसी भी विवाद की स्थिति में संघ की लेनदारी में भुनाये जा सकेंगे।
 11. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि छः माह के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य छः माह की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि छः माह और आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।
-
12. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
 13. निविदाकार को FSSAI नियमों के अन्तर्गत परिवहन कार्य का वैद्य पंजीयन/लायसेन्स करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी छायाप्रति निविदा में संलग्न करना होगी। नवीन कार्य प्रारंभ करने पर आवेदन कर रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।
 14. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित जीपीएस सिस्टम को वाहन में स्थापित करना होगा, जिसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन चार्ज परिवहनकर्ता को वहन करना होगा।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष वाहन के इंसुलेशन का निरीक्षण समय-समय पर कराना होगा।
16. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पेन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौती किया जावेगा
17. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा इस निविदा में भाग लिया जाना हो तो कार्यादेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान ठेके से संबंधित समस्त लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट (अथवा क्रेट की धनराशि) दुग्ध संघ में जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी।
18. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व सुपर स्टॉकिस्ट/वितरक/वितरक सह-परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा।
19. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे वसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध संघ के साथ न्यायीक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो वह इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
20. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत निविदाकार को राशि रुपये रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
21. निविदाकार को निविदा के साथ राशि रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

22. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
23. दुग्ध संघ द्वारा निविदा में प्रस्तुत मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (मार्ग में दुग्ध विक्रय केन्द्र/विक्रय स्थल बढ़ाने/घटाने) करने पर चयनित निविदाकार को स्वीकृत परिवहन दरों पर वाहन संचालित करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 23 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पता

शुद्धता का संकेत

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 8

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 02

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ईएमडी राशि रु. 25,000/- (अक्षरी रु. पच्चीस हजार मात्र) ऑनलाईन माध्यम से जमा कर जमा स्लीप संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	परिवहनकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरण हेतु टाटा अल्ट्रा 1012 या समकक्ष क्षमता 500		उपलब्ध वाहन के पंजीयन अथवा

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 9

	क्रेट- (01 क्रेट×12 लीटर) स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन मॉडल - 2017 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (वाहन खरीदने या अनुबंधित वाहन लगाने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें।)		वाहन खरीदने अनुबंधित वाहन का मूल शपथ पत्र संलग्न करें।
6	निविदाकार को परिवहन कार्य का FSSAI के नियमों के अन्तर्गत पंजीयन/लायसेन्स आवश्यक है।		FSSAI लायसेन्स/पंजीयन की वैध प्रति प्रस्तुत करें।
7	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि।		ऑनलाईन जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करें।
8	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेंट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
9	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
10	निविदाकार दुग्ध संघ का कर्मचारी /संचालक मण्डल सदस्य अथवा रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		मूल शपथ संलग्न करें।
11	निविदाकार को एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		मूल शपथ संलग्न करें।
12	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर निविदा के साथ स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित कर अपलोड करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर आर्नेस्ट मनी ऑनलाईन जमा स्लीप के साथ अपलोड करें एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04, अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
4. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

दूरभाष नम्बर -----
मोबाईल नम्बर -----

शुद्धता का संकेत

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 11

साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र
केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु

1. वाहन का विवरण :- टाटा अल्ट्रा 1012 या समकक्ष (इंन्सुलेटेड) वाहन मॉडल – 2017 के उसके बाद का क्षमता 500 क्रेट (01 क्रेट×12 लीटर)
2. प्रस्तावित दर –

मार्ग क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दर रूपये/प्रति किलोमीटर (टोल टैक्स अतिरिक्त रहेगा)
1	दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर मार्ग	दर केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें

नोट :-

- दरें तापरोधी (इंसुलेटेड) वाहन हेतु ही मान्य होगी।
- यदि मार्ग में टोल नाका होता है तो उसकी रसीद या फस्टेग स्टेटमेन्ट अनुसार पृथक से भुगतान किया जावेग।
- यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो परिवहनकर्ता को लॉटरी के माध्यम से चयनित किया जावेगा।

साँची दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी वितरण परिवहन हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं श्री..... जिन्हे आगे परिवहन अथवा ठेकदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे –

परिवहनकर्ता द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर तक (आवश्यक होने पर दुग्ध संयंत्र रतलाम तथा मार्ग के अन्य स्थानों पर भी) साँची दुग्ध पैकेट, दुग्ध पदार्थ, घी एवं दुग्ध से संबंधित अन्य सामग्री परिवहन एवं खाली क्रेट दुग्ध संयंत्र उज्जैन तक परिवहन करने के वास्ते अपने तापरोधी निजी/अनुबंधित वाहन क्रमांक से मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन द्वारा निर्धारित समय पर परिवहन हेतु निविदा में आवेदन किया हैं एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इसमें आगे लिखे गए अनुबंध एवं शर्तों पर निविदाकार द्वारा निविदा में प्रस्तुत परिवहन दर रूपये प्रति किलोमीटर आना व जाना मिलाकर (टोल टेक्स अतिरिक्त) स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबत देना होगा। इस स्थिति में संस्था को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली परिवहनकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
2. यह कि परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर अपने तापरोधी (इंसुलेटेड) निजी वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी, एवं इसमें आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ को होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दर्शाने से दस किलोमीटर प्रतिदिन ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

3. अनुबंध अवधि के दौरान न्यायोचित परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार उभय पक्ष को होगा।
4. यह कि निविदा में निर्धारित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स वाहन में लोड करने व मार्ग में विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट आदि वापस लेकर उज्जैन डेयरी संयंत्र में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिए पारिश्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
5. (अ)– परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेयरी संयंत्र से प्राप्त की गई है। उतनी ही क्रेट डेयरी संयंत्र में प्रतिदिन वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि परिवहनकर्ता के देयक में से काटी जावेगी।
(ब)– विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा परिवहनकर्ता को चालान में दर्शाई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी एवं इसी प्रकार किसी कारणवश विक्रय केन्द्रों से वापस होने वाले दूध एवं क्रेट एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो क्रेट एवं दूध की मात्रा के समतुल्य राशि परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी।
6. यह कि इस अनुबंध के विरुद्ध परिवहनकर्ता द्वारा प्रथम पक्ष के पास एमआर क्रमांक दिनांक रुपये 1,00,000/- प्रतिभूति जमा की गई, साथ ही अपने स्वयं के नाम से बैंक में संचालित हो रहे खाता क्रमांक के 05 नग चेक हस्ताक्षरित/ रेखांकित प्रतिभूति बतौर जमा किये गये हैं, जो प्रथम पक्ष के द्वारा परिवहनकर्ता से वसूली योग्य किसी भी राशि के प्राप्त करने हेतु उपयोग किये जा सकेंगे।
7. मार्ग पर आकस्मिक रूप से बढ़ने वाली मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त वाहन या अधिक क्षमता के वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। अतिरिक्त वाहन व्यवस्था का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जा सकेगा।
8. यह कि परिवहनकर्ता वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य

संपन्न करें, अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई हानि हुई तो वह परिवहनकर्ता की वसूली योग्य होगी। ऐसी घटना निरंतर होने पर अनुबंध निरस्त करके परिवहन की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

9. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित जीपीएस सिस्टम को वाहन में स्थापित करना होगा, जिसका वार्षिक सब्सक्रिप्शन चार्ज परिवहनकर्ता को वहन करना होगा।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष वाहन के इंसुलेशन का निरीक्षण समय-समय पर कराना होगा।
11. परिवहनकर्ता को निविदा में वर्णित क्षमता एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम का पंजीकृत/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरित प्रभाव परलक्षित न हो। निर्धारित समय में इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से वितरण नहीं पाये जाने पर परिवहनकर्ता को किये जा रहे देयकों के भुगतान राशि से 10 प्रतिशत राशि का कटोत्रा कर लिया जावेगा। परिवहनकर्ता को वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं बीम से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रत्येक वर्ष दुग्ध संघ में जमा करनी होगी।
12. यह कि वाहन की खराबी अथवा परिवहनकर्ता पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट फूट होने पर जो मुल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व वाहन परिवहनकर्ता का रहेगा।
13. यह कि परिवहनकर्ता हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में सम्पर्क कर एवं हिसाब मिलान कर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले, अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जावेगी, जो परिवहनकर्ता को मान्य करनी होगी।
14. यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट भरकर उतनी मात्रा में ही ले जावेगें, जितनी की शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अधिक पाये गये दूध/दुग्ध पदार्थ/ केन क्रेट की मुल्यांकित राशि की 100 गुना राशि अर्थदण्ड स्वरूप संबंधित वाहन के परिवहनकर्ता से की जा सकेगी।
15. यह कि परिवहनकर्ता/ वाहन चालक, परिवहनकर्ता के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेटस लायेंगे दुग्ध चालन की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे, न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटायेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम परिवहनकर्ता से वसूली की जावेगी।

16. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को परिवहनकर्ता या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की राशि से दुग्ध की कीमत वसूल की जावेगी।
17. यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा या स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, तो उसकी जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी, तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी द्वारा लिए गये सेम्पल की संघ प्रयोगशाला का जांच में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि हुई तो तुरंत निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकेगी।
18. यह कि वाहन परिवहनकर्ता द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की मात्रा रिटर्न करता है एवं वह मात्रा (प्रयोगशाला) परीक्षण में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
19. यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर इस कर्मचारी को कार्य से परिवहनकर्ता के तुरन्त हटाना होगा। परिवहनकर्ता कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरंत निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
20. यह कि परिवहनकर्ता को डेयरी डॉक पर दूध पैकेट में क्रेट के माध्यम से दिया जावेगा, जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डॉक पर परिवहनकर्ता छोट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को अच्छे पैकेट देगा दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमति उपरांत ही वितरण दुग्ध के पैकेट वापस लिये जा सकेंगे।
21. यह कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेंडेन्ट दूध के क्रेट उठाकर निरीक्षण कार्य को संपन्न करावेंगे। सुरक्षा गार्ड एवं वितरण कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यहार नहीं किया जावेगा, व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात ही दुग्ध वितरण वाहन को डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
22. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि एक से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो परिवहनकर्ता से

रूपये 250/-प्रतिव्यक्ति की दर से शास्ति वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

23. विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय से 15 मिनट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी। किन्तु वाहन 15 मिनट से अधिक देरी से डेयरी डॉक विपणन पर पहुंचता है तो वाहन परिवहनकर्ता से राशि रू. 500/- की शास्ती अधिरोपित की जावेगी।
24. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात खाली क्रेट्स वापसी लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। प्राप्त की गई क्रेट उसी संस्था में वापिस न आने पर कम प्राप्त क्रेट की राशि कटौती परिवहन देयक से तत्काल किया जायेगा। परिवहनकर्ता को देयक के साथ क्रेट्स का मासिक हिसाब देना होगा।
25. यदि परिवहनकर्ता का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक या प्रबंधक विपणन की लिखित अनुमती से अस्थाई रूप से वह दूसरे तापरोधी वाहन की व्यवस्था करेगा। जिसकी अधिकतम अवधि पन्द्रह (15) दिन की रहेगी। तत्पश्चात स्वयं का वाहन कार्य पर लगाना होगा। ऐसा न करने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ का होगा।
26. यह कि परिवहनकर्ता का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई वाहन की व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी, इस हेतु अग्रिम जानकारी भी कार्यालय को देनी होगी।
27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन डेरी उज्जैन अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्ता दुग्ध पदार्थ या दुग्ध सेचेट/क्रेटों से भरी गाडी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्ति या अन्य सामग्री को नहीं ले जा सकेगा।
28. वाहन परिवहनकर्ता द्वारा परिवहन देयक प्रतिमाह की 01 से 15 तारीख तक के नियमित रूप से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक तथा 16 से 30/31 तारीख तक के नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक के परिवहन देयक संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक के सत्यापन टीप एवं कार्य संतोषप्रद होने की अनुशंसा तथा क्रेट/ केन खाते की **Reconciled** बकाया स्थिति अंकित कराने पश्चात देयक संघ में जमा कराना होगा, जिसका भुगतान संघ द्वारा देयक प्रस्तुत होने के बाद 15 दिवस में RTGS/NEFT चैक द्वारा किया जा सकेगा।

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 17

29. वाहन चालक द्वारा अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (संयत्र संचालन) या डॉक विभाग कर्मी द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को परिवहनकर्ता को तुरंत बदलना होगा।
30. यह अनुबंध दिनांकसेतक छः माह ठेका अवधि तक प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
31. वितरण के दौरान वाहन का आकस्मिक निरीक्षण किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ, उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा किया जा सकेगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
32. परिवहनकर्ता को अपना परिवहन कार्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो परिवहन कार्य तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
33. दुग्ध संघ की बकाया कोई भी राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी।
34. डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा की गति से नहीं चलाया जावें, और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावें। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 100/- प्रतिवाहन प्रतिबार जुर्माना किया जावेगा, जो कि परिवहनकर्ता के देयक से काटा जावेगा।
35. परिवहनकर्ता द्वारा दिये गए भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव से ठेका अवधि में अपना स्वयं का वाहन चलाएगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा वाहन चालाने के लिए असमर्थता की गई तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता की अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
36. अनुबंध पत्र की किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

37. परिवहन कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में अध्यक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, उज्जैन या उनके द्वारा नियुक्त संचालक/अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को बंधनकारी होगा।
38. उपरोक्त शर्तों के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी न्यायोचित शर्त लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा।
39. वाहन परिवहनकर्ता को क्रेट का लेखा जोखा स्वयं रखना होगा, कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र परिवहनकर्ता को दिया जावेगा, उस आदेश पत्र प्राप्ति के 06 दिवस के अंदर बकाया क्रेट संघ में जमा करना होंगे, अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के परिवहनकर्ता के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटोत्रा होने के पश्चात काटी गई राशि वापस नहीं होगी।
40. परिवहनकर्ता खाली क्रेटों का लेखा जोखा प्रत्येक माह के अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में दुग्ध संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके लिए स्वयं परिवहनकर्ता उत्तदायी होगा।
41. यह अनुबंध छः माह के लिए प्रभावशील रहेगा, दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य छः माह की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं दर पर कार्य अवधि छः माह तक ओर आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
42. यदि वाहन परिवहनकर्ता शर्तों के परिचालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।
43. वाहन परिवहनकर्ता द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण उज्जैन दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ता को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि परिवहनकर्ता से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

44. ठेके के बीच अवधि में यदि डीजल ऑयल की दरों में औसत वृद्धि/ कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी संघ के नियमानुसार वाहन की स्वीकृति दरों में की जा सकेगी।
45. यदि परिवहन मार्ग में टोल नाका आता है तथा परिवहनकर्ता द्वारा टोल टैक्स का भुगतान किया जाता है तो परिवहनकर्ता को देयक के साथ टोल टैक्स की रसीद या फास्टेग स्टेटमेन्ट संलग्न करने पर टोल टैक्स राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जावेगा।
46. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन परिवहनकर्ता द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी बीमा राज्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन परिवहनकर्ता की होगी।
47. यदि कार्य संपादन करने में वाहन परिवहनकर्ता संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा तथा कार्य समापन करने की अक्षमता के लिए परिवहनकर्ता स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे, तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन परिवहनकर्ता की नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।
48. दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा। वाहन में लोड दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी, इसमें लापरवाही होने पर यदि पदार्थ को कोई हानि होती है तो परिवहनकर्ता से वसूली की जा सकेगी।
49. परिवहनकर्ता को वितरण कार्य में संलग्न वाहन का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एन.ओ. सी. प्रमाण पत्र एवं एफ.एस.एस.ए.आई. (फूड सेफ्टी लायसेंस) प्रतिवर्ष नवीनकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
50. आपातकालीन स्थिति यथा नदी-नाले चढ़ने पर या अन्य किसी अप्रत्याशित घटना से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटोत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।
51. उपरोक्त अनुबंध के शर्तों के अलावा इस निविदा की प्रक्रिया, समस्त शर्त एवं समय-समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश पत्र/परिपत्र के माध्यम से दिए जाएंगे, वे सभी इस अनुबंध के भाग माना जाएंगे एवं उसके पालन हेतु परिवहनकर्ता बंधनकारी होगा।
52. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण हेतु Arbitrator प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जावेगा। उनका या

उनके द्वारा नियुक्त किये सक्षम अधिकारी का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

53. इस अनुबंध का न्यायिक कार्य क्षेत्र, उज्जैन शहर का न्यायालय होगा।

54. टंकण त्रुटि या किसी अन्य कारण से अनुबंध की कण्डिका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब अनुबंध की कण्डिका को स्पष्ट करने, बदलने एवं हटाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को बन्धनकारी होगा।

हस्ताक्षर परिवहनकर्ता –

नाम.....

नाम.....पिता का नामआयु.....निवासी.....

.....ऊपर उल्लेखित हस्ताक्षरित की गई निविदा क्षेत्र मेरे द्वारा भलीभांति पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर उज्जैन दुग्ध संघ के पक्ष में हस्ताक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मकसी रोड़, उज्जैन –
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
परिवहनकर्ता
नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 21

मार्ग का विवरण

1- दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर परिवहन मार्ग :-

वाहन का प्रकार : टाटा अल्ट्रा 1012 अथवा समकक्ष इन्सुलेटेड वाहन

क्रेट क्षमता :- 500 क्रेट (01क्रेट×12लीटर)

मॉडल : 2017 या उसके बाद का या नया वाहन

आना जाना दूरी (अनुमानित) :- 360 कि.मी. आना-जाना प्रतिदिन (वाहन संचालन के पूर्व वस्तुविक दूरी का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन अनुसार भुगतान किया जावेगा।)

दर : प्रतिकिलोमीटर अनुसार

शुद्धता का संकेत

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 22

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1- उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर तक दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उक्त मार्ग के लिए ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथ ग्रहिता द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से जारी दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर तक दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की गई है, यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार टाटा अल्ट्रा 1012 अथवा समकक्ष वाहन (क्षमता 500 क्रेट – 01क्रेट×12लीटर) मॉडल 2017 या उसके बाद का स्वयं अथवा अनुबंधित या नया इंसुलेटेड वाहन तत्काल लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा ई-निविदा अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर तक दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उक्त मार्ग के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा दुग्ध संयंत्र उज्जैन से दुग्ध संयंत्र मंदसौर तक दुग्ध, दुग्ध पदार्थ एवं घी परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

महाप्रबंधक
(सं.सं.)

सहा.महाप्रबंधक
(MIS)

सहा.महा.प्र./प्रबंधक
(वित्त)

प्रभारी
(विपणन)

प्रभारी
(गु.नि.)

प्रभारी
(क्रय/यांत्रिकी) 26